

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोचिन

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant

An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in E-mail: commr@cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422 Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

व्यापार सुविधा सं. TRADE FACILITY NO. 16/2018

विषय: बोर्ड के परिपत्र सं. 13/2018-कस्टम्स के अनुसार रीफ़र कंटेनरों को भरने और सील करने के संबंध में जारी संशोधित निर्देश-संबन्धित

Sub: Revised Instructions for stuffing and sealing of reefer containers issued vide Board Circular No.13/2018 -Customs -Reg

सभी निर्यातकों, सीमाशुल्क ब्रोकरों, स्टीमर एजेंटों और अन्य सभी भागीदारों का ध्यान सीबीआईसी के परिपत्र सं. 13/2018- कस्टम्स दिनांक 30.05.2018 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार रीफ़र कंटेनरों को भरने और सील करने के बारे में संशोधित निर्देश जारी किए गए हैं।

Kind attention of all Exporters, Customs Brokers, Steamer Agents and all other stakeholders is drawn to the CBIC Circular No.13/2018 –Customs dated 30.05.2018, vide which revised instructions have been issued in respect of the stuffing and sealing of reefer containers.

2. इस संबंध में, बोर्ड की अधिसूचना सं. 26/ 2017-कस्टम्स दिनांक 01.07.2017 और परिपन्न सं. 36/ 2017-कस्टम्स दिनांक 28.08.2017 के अनुसार निर्यातकों द्वारा कंटेनरों के लिए स्वयं-सीलिंग प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग आरंभ करने और उसे लागू करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

In this regard, attention is also drawn towards the procedure of introducing and implementing electronic sealing for containers by exporters under self sealing procedure prescribed vide Board Notification No.26/2017–Customs dated 01.07.2017 and Circular No.36/2017–Customs dated 28.08.2017.

3. यह देखा गया है कि आरएमएस द्वारा चुने गए ऐसे माल की जांच के लिए किटाणुरहित और तापमान नियंत्रित भंडारण सुविधा की कमी के कारण ऊपर बताए गए स्वयं सीलिंग प्रक्रिया की शुरूआत के परिणामस्वरूप रीफर कंटेनरों में जल्द खराब होने वाले माल के निर्यातकों को कठिनाइयों का सामना करना पइ रहा है।

It was observed that the exporters of perishable cargo in reefer containers are facing difficulties consequent to the introduction of the aforementioned self sealing procedure owing to the lack of sterile and temperature controlled storage facility for examination of such cargo selected by RMS.

3. इन मुद्दों को हल करने के लिए, बोर्ड ने एक परिपत्र के माध्यम से सीमा शुल्क अधिकारियों की उपस्थिति में जल्द नष्ट होने वाले/ तापमान के प्रति संवेदनशील निर्यात वस्तुओं को कारखाने में भरने और रीफर कंटेनरों को सीलिंग करने की मंजूरी देने का निर्णय लिया है।

In order to address these issues, Board has, vide the subject Circular, decided to allow factory stuffing and sealing of reefer containers with perishable/temperature sensitive export goods in the presence of Customs Officials.

- 4. उपर्युक्त प्रक्रिया को इस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा।
 The above procedure shall be implemented as under:
- (i) निगरानी के अधीन सामान भरने का लाभ उठाने के लिए इच्छुक निर्यातक को प्रस्तावित स्टिफिंग से कम से कम 24 घंटे पहले, निर्यात वस्तुओं की सूची और उसकी प्रकृति के साथ सीमा शुल्क आयुक्त के पास आवेदन करना होगा।

The exporter wanting to avail supervised stuffing shall apply to the Commissioner of Customs along with the list of export goods and its nature, at least 24 hours prior to the proposed stuffing.

(ii) सीमा शुल्क आयुक्त इस बात से संतुष्ट होने पर कि निर्यात सामान तापमान के प्रति संवेदनशील हैं और बंदरगाह पर कोई किटाणुरहित और तापमान नियंत्रित परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे स्टिफिंग के लिए निगरानी के अधीन स्टिफिंग और सीलिंग करने की अनुमति प्रदान करेगा और निगरानी के लिए अधिकारियों को नियुक्त करेगा। इस तरह प्रदान की गई अनुमति तब तक वापस नहीं ली जाएगी जब तक कानून, नियम या विनियमों के अनुपालन में कोई विचलन न हो।

The Commissioner of Customs, on being satisfied that the export goods are sensitive to temperature and that no sterile, temperature controlled examination facilities are available at the port, shall permit supervised stuffing and sealing in respect of such goods and depute officers to supervise the same. The permission so granted shall not be withdrawn unless any non compliance to law, rules or regulations is noticed.

(iii) जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, वे यह सुनिश्चित करेगा कि रीफर कंटेनर केवल ऐसे निर्यात सामानों से भरे गए हैं जो तापमान के प्रति संवेदनशील हैं और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत निर्यात सामान सूची के विवरण के अनुसार हैं। कंटेनरों को निर्यातक द्वारा प्राप्त आरएफआईडी ई-सील के साथ बंद कर दिया जाएगा और आंकड़ों को आवश्यकतानुसार निर्धारित निर्यातक के अनुसार निर्यातक द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। लागू होने पर एमओटी शुल्क निर्धारित दरों पर भुगतान किया जाएगा।

The Officers so deputed would ensure that the reefer containers are stuffed with only such export goods as are sensitive to temperature and in accordance with the details of the export goods list furnished by the exporter. The containers would be sealed with RFID e-Seals procured by the exporter and data as required shall be uploaded by the exporter as per the prescribed procedure. MOT charges wherever applicable shall be paid at the prescribed rates.

(iv) निर्यातकों के विवरण, जिन्हें ऐसी सुविधा की अनुमित दी गई है, उन्हें आरएमसीसी और सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा निर्यात वस्तुओं की सूचक सूची के साथ निर्यात बंदरगाह भेजा जाएगा। आरएमसीसी यह सुनिश्चित करेगा कि निगरानी के तहत सील की गई ऐसे रीफर कंटेनर की बंदरगाह पर परीक्षा न हो।

The details of exporters who have been permitted such facility along with the indicative list of export goods shall be sent to RMCC and the port of export by the Commissioner of Customs. RMCC shall ensure that such reefer containers sealed under supervision are not subjected to examination at the port.

(iv) अधिकार क्षेत्र वाले आयुक्तालय आरएमसीसी को मासिक आधार पर निर्यातकवार कंटेनरों के विवरण सूचित करेगा, जो बदले में यह जांच करेगा और किसी भी विसंगति के मामले में आयुक्त को सूचित करेगा। यदि कोई विसंगति की सूचना दी जाती है, तो आयुक्त निगरानी वाले सामान और मुहर के लिए दी गई अनुमति की समीक्षा करेगा।

The jurisdictional Commissionerate shall inform the RMCC, on a monthly basis, the exporter wise container details, who in turn, shall verify the same and inform the Commissionerate in case of any discrepancy. If any discrepancy is reported, the Commissioner shall review the permission granted for supervised stuffing and sealing.

5. उपर्युक्त प्रक्रिया केवल रीफर माल के संबंध में निर्यातक के अनुरोध पर की जाएगी। अन्य प्रकार के संवेदनशील माल के संबंध में, सीमा शुल्क आयुक्त वैध कारणों से आरएमएस निर्देशों को लांघने के लिए उपयुक्त विवेक का प्रयोग कर सकते हैं और उसे आरएमसीसी को सूचित किया जाएगा।

The above procedure shall be observed only at the request of the exporter in respect of reefer cargo. In respect of other types of sensitive cargo, the Commissioner of Customs may exercise suitable discretion to override the RMS instructions for valid reasons which shall be communicated to the RMCC.

5. उपर्युक्त छूट के बावजूद, रीफर कंटेनरों को विशेष/ खुिफया जानकारी या जब यह देखा जाए कि आरएफआईडी सील को सीमा शुल्क अधिकारी की उपस्थिति में सील करने के बाद उससे छेड़छाड़ की गई है तो कभी-कभी याद्दिछक आधार पर स्कैनिंग/ परीक्षा के लिए चुना जा सकता है।

Notwithstanding the above relaxation, the reefer containers may be selected for scanning/examination on specific information/ intelligence or occasional random basis or where it has come to notice that the RFID seal has been tampered with after being sealed in the presence of the Customs officer.

- 7. विषय से संबन्धित सीबीआईसी के परिपत्र सं 13/ 2018 -Cus दिनांक 30.05.2018 की प्रतिलिपि संदर्भ के लिए इसके साथ संलग्न है।
 - Copy of the subject CBIC Circular No.13/2018 -Cus dated 30.05.2018 is enclosed herewith for reference.
- 8. सभी हितधारकों को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों का संज्ञान लें। यदि कोई कठिनाई हो तो उसे अधोहस्ताक्षरी की सूचना में लाएँ।
- **8.** All stakeholders are directed to take cognisance of the above Instructions. Difficulties if any may be brought to the notice of the undersigned.

Sd/-

(सुमित कुमार SUMIT KUMAR) सीमाश्ल्क आयुक्त Commissioner of Customs

संलग्न Encl: As above

F.No.C1/03/2016 TU. Cus.

दिनांक Dated: .06.2018

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय शुल्क, केंद्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क।
The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise and Customs.

2. आयुक्त की फाइल/ अपर आयुक्त/ सभी उप आयुक्त व सहायक आयुक्त, विकास आयुक्त (सीएसईज़ेड)/ सभी मूल्य निरूपक/ सभी अनुभाग/ गार्ड फाइल और डाक सूची के अनुसार। सभी संबन्धित अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे इसे नोट करें और निर्देशों/ परिवर्तनों का अनुपालन करें।

Commissioner's file/Addl Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ Development Commissioner (CSEZ)/ All Appraisers/ All Sections / Guard File and as per mailing list. All concerned officers are directed to note and comply with the instructions/changes

- 3. राजभाषा यूनिट/Official Language Unit
- 4. कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर एसोसिएशन, कोचीन
 The Cochin Customs Brokers Association, Cochin
- फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ओर्गनईजेशन, कोचिन
 Federation of Indian Exports Organisation, Cochin

//अनुप्रमाणितः/ ATTESTED//

//जी.अनिलकुमार / G.AMILKUMAR//

मूल्यांकक (टैरिफ यूनिट) APPRAISER (TARIFF UNIT)

Page 4 of 4